

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥

आदेश संख्या- 3/एम0-54/2015सा0प्र0.....589...../पटना-15, दिनांक- 14-1-2020

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 निर्गत है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही, संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित पदों को संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है :-

क्र० सं०	विभाग का नाम	विभागीय संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.15 अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावित पद।
1	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	(i) सांख्यिकी गणक
2.	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	(i) सहायक शिक्षक, (ii) व्याख्याता, (iii) कम्प्यूटर शिक्षक।
3.	श्रम संसाधन विभाग	निदेशालय चिकित्सा सेवाएँ (कर्मचारी राज्य बीमा योजना) के- (i) लिपिक
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग	(i) राजभाषा सहायक, (ii) राजभाषा अनुदेशक (मुख्यालय एवं प्रमण्डलीय), (iii) सहायक राजभाषा अनुदेशक, (iv) अनुदेशक (आशुलेखन), (v) सहायक अनुदेशक (टंकण), (vi) टंकक-सह-लिपिक, (vii) सम्पादक।
5.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के- (i) निम्नवर्गीय लिपिक; (ii) आशुटंकक/आशुलिपिक; (iii) अनुदेशक; (iv) प्रयोगशाला सहायक।

3. उपरोक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक- 10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेगी एवं इन पदों पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-3/एम0-54/2015सा0प्र0.....589...../पटना-15, दिनांक-


14-1-2020

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (ई-गजट प्रशाखा) को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक-3/एम0-54/2015सा0प्र0.589/पटना-15, दिनांक- 14-1-2020

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना; सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव; सभी विभागाध्यक्ष; सभी प्रमंडलीय आयुक्त; सभी जिला पदाधिकारी; को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-3/एम0-54/2015सा0प्र0.589/पटना-15, दिनांक- 14-1-2020

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/श्रम संसाधन विभाग/ विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।